277

संख्या– / /XVIII-(2)/16-12(23)/2015

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
यू0जे0वी0एन0 लिमिटेड,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

आपदा प्रबन्धन अनुभाग–1 **देहरादूनः दिनांक 18 मई, 2016**

विषयः– **ऊर्जा विभाग (यू.जे.वी.एन.एल.) की योजनाओं के पुनर्निर्माण कार्यो हेतु एस.पी.ए.–आर के अंतर्गत धनावंटन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक ऊर्जा विभाग की पत्रावली संख्या–5–37/I(2)/2013 के माध्यम से यू.जे.वी.एन.एल. की 03 योजनाओं की कुल धनराशि ₹ 2856.21 लाख पर धनावंटन किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2– उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रोजेक्ट कोड संख्या–10014, 10015 एवं 10016 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष क्षेत्र में ईको सेंस्टिव जोन घोषित होने के कारण अस्सी गंगा–2, 4500 कि.वा., अस्सी गंगा–1, 4500 कि.वा. एवं एम.बी.–1, 90 मे.वा. की योजनाओं पर कार्य नहीं कराये जाने के कारण इन योजनाओं हेतु स्वीकृत धनराशि के प्रोजेक्ट कोड संख्या–10012 एवं 10013 की 02 योजनाओं के आगणनों पर टी.ए.सी. वित्त विभाग द्वारा निम्नानुसार धनराशि औचित्यपूर्ण पायी गई है:–

क्र. सं.	प्रोजेक्ट कोड संख्या	परियोजना का नाम	आगणन की लागत	टी.ए.सी. द्वारा सिविल कार्यो हेतु औचित्यपूर्ण पायी गई धनराशि (₹ लाख में)	अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अनुसार धनराशि (₹ लाख में)	कुल औचिपूर्ण पायी गई धनराशि (₹ लाख में)
1	10012	उर्गम–1, 3 मे0वा0	1209.00	1031.33	173.92	1205.25
2	10013	पिलंगाड 2250 कि0वा0	1121.00	1066.04	19.58	1083.62
		कुल योग	2330.00	2097.37	193.50	2288.87

3– उपरोक्तानुसार 02 परियोजनाओं के आगणनों की धनराशि ₹ 2330.00 लाख का टी.ए.सी. द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गई धनराशि ₹ 2288.87 लाख (₹ बाइस करोड़ अठासी लाख सतासी हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
2. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय, जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गई है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
3. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित किया जायेगा।
4. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही उपयोग में लायी जाय।
5. विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजाइन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
6. स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य की स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।
7. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV-219(2006), दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन किया जायेगा।

8. आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
9. स्वीकृत धनराशि का आहरण प्रबन्ध निदेशक, यू0जे0वी0एन0एल0 द्वारा तैयार किये गये एवं जिलाधिकारी देहरादून द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित बिल द्वारा किया जायेगा।
10. अवमुक्त की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में योजनावार भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना सहित नियमानुसार उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
11. उक्त स्वीकृति के सापेक्ष व्यय/समर्पित धनराशि का लेखा मिलान सम्बन्धित विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा महालेखाकार कार्यालय, उत्तराखण्ड देहरादून में निश्चित रूप से प्रत्येक तीन माह में सुनिश्चित कराया जायेगा।
12. स्वीकृत की जा रही धनराशि के लेखों का रख–रखाव एवं शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत वित्तीय नियमों/दिशा निर्देशों तथा अधिप्राप्ति नियमावली का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा इसके आडिट का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित विभागाध्यक्ष का होगा।
13. स्वीकृत धनराशि का उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 31.03.2017 तक शासन को प्रस्तुत किया जाना आवश्यकीय होगा तथा स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आवश्यकतानुसार ही आहरण किया जाय और यदि उक्त तिथि तक कोई धनराशि अवशेष रहती है तो वह धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

4– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के लेखानुदान (दिनांक 01.04.2016 से 31.07.2016 तक) के अनुदान संख्या–6 के लेखाशीर्षक–2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–80–सामान्य–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना– 0103–एस.पी.ए./ए.सी.ए. (आपदा 2013) के अन्तर्गत ऊर्जा सेक्टर हेतु अनुदान–24–वृहत निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

5– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–490/XXVII(1)/2016, दिनांक 31 मार्च, 2016 में प्राप्त निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

संख्या–1098 (1)/XVIII-(2)/16-12(23)/2015, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) ओबैराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2– प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड शासन।
4– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढ़वाल।
5– अपर सचिव, वित्त एवं व्यय अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6– जिलाधिकारी, देहरादून, उत्तरकाशी एवं चमोली।
7– निदेशक, कोषागार, 23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
8– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/उत्तरकाशी/चमोली।
9– अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10– निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
11– प्रभारी अधिकारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12– वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
11– गार्ड फाइल।

10.5.2016

आज्ञा से

(संतोष बड़ोनी)
उप सचिव